न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

RMP वाद सं0--50 / 2011–12
87 / 2002

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी
बनाम
मास्टर सुन्दर दास

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह वाद विज्ञ उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय से हस्तांतरित होकर सुनावाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त है।

मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा–खपड़ाजोला के जमाबंदी सं0–31 के दाग सं0–311 अन्तर्गत रकवा 02–05–15 धुर भूमि का विपक्षी मास्टर सुन्दर दास, थाना–पाकुड़, जिला–पाकुड के नाम अंचल सिरिस्ता पाकुड के पंजी–।। में कायम जमाबंदी को रद्द करने एवं लगान रसीद निर्गत करने पर रोक संबंधी एक मामला विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0–71 / 1998–99 चला। उक्त वाद में दिनांक–24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया। सुनवाई के क्रम में विपक्षी मास्टर सुन्दर दास की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र संजय कुमार, सा0–सिंधीपाड़ा, थाना–पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार से सुना गया। उनके द्वारा निम्नांकित कागजात भी दाखिल किया गया है :–

(1) जमाबंद सं0–31 के खतियान की प्रति।

(2) प्रश्नगत दाग सं0–311 के लिए भुगतान की गई सलामी संबंधी चालान की प्रति।

(3) बसौड़ी रेंट जमा करने संबंधी चालान की प्रति।

(4) लगान रसीद (वर्ष 1966–67, वर्ष 1983–84, वर्ष 1991–92, वर्ष 1993–94 से 1999–2000 एवं 2000–2001)

(5) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड के न्यायालय के राजस्व विविध सं0–11 / 1957–58 में दिनांक–13.03.1961 को पारित आदेश की प्रति।

(6) Dineshwar Prasad Vrs Stater of Jharkhand 2008(3) JLR 639(Jhar.) में पारित न्याय निर्णय की प्रति।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

(7) Kalpana Pandey Vrs. State of Jharkhand 2008(A) JLR 389 में पारित न्याय निर्णय की प्रति।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में बिलकुल गलत है एवं पोषणीय नहीं है। मौजा–खपड़ाजोला के जमाबंदी सं0–31 के दाग सं0–311 की भूमि भूतपूर्व जमींदार जी0सी0पाण्डेय के द्वारा वर्ष 1912–13 में Rent Reguation Act 1886 की धारा 25 के तहत् विधिवत् अर्जित की गई थी। वर्ष 1928 में खतियान का प्रकाशन हुआ, परन्तु कर्मी के चूक के कारण उक्त भूमि जी0सी0पाण्डेय के नाम दर्ज नही कर अनावादी खाता में अंकित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आपत्ति दी गई एवं आपत्ति के आलोक में खतियान के अभ्युक्ति में "दखल खास मालिक रे0मि0 केस नं0–481/1912–13" अंकित किया गया। बाद में वर्ष 1947 में जी0सी0पाण्डेय के द्वारा प्रश्नगत भूमि मास्टर सुन्दर दास (इस वाद के मूल विपक्षी) को बंदोवस्ती परवाना निर्गत कर बंदोवस्ती में दे दी गई। बंदोवस्ती के बाद से ही उसपर मास्टर सुन्दर दास का दखल–कब्जा रहा एवं उनके द्वारा लगान का भुगतान किया जाता रहा। वर्ष 1957–58 में माननीय उपायुक्त, संथाल परगना, दुमका के रे0मिस वाद सं0–11/1957–58 में पारित आदेश द्वारा कोषागार चालान द्वारा प्रश्नगत भूमि की सलामी 322.00 रूपये तथा बसौडी लगान 213.00 रूपये जमा किया गया एवं प्रश्नगत भूमि बसौडी रैयती हो गई। बसौडी रेंट वर्ष 1955 से वर्ष 1960 तक दी गई एवं बाद में भी लगान रसीद वर्ष 2001 तक निर्गत किया गया। पंजी–।। में मास्टर सुन्दर दास के नाम से विधिवत जमाबंदी कायम की गई। उनका आगे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई न्याय निर्णयों से यह स्पष्ट है कि लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी को राजस्व न्यायालय रद्द नही कर सकते है। उनका आगे कहना है कि भूतपूर्व जमींदार जी0सी0 पाण्डेय द्वारा स्व0 भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डेय को भी मौजा खपड़ाजोला के जमाबंदी सं0–31 अन्तर्गत दाग सं0–162, 163, 165, 319, 311, 320 एवं 167 अन्तर्गत कुल रकवा 10–13–10 धुर जमीन की बंदोवस्ती की गई थी। उक्त दागो में भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने संबंधी एक सदृश्य मामला RMP वाद सं0–43/2011–12 इस न्यायालय में चला था, जिसमें भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत मामला उक्त जमाबंदी सं0–31 के दाग सं0–311 से ही संबंधित है। उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

सम्पूर्ण अभिलेख एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग की भूमि भूतपूर्व जमींदार जी0सी0 पाण्डेय द्वारा वर्ष 1912–13 में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के रे0मिस0 वाद सं0–227/1912–13 में पारित आदेश द्वारा विधिवत बसौड़ी टेनेंसी के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान कर अर्जित की गई थी। वर्ष 1928 में खतियान में उक्त भूमि अनावादी खाते में गलती से दर्ज हो गई, जिसके विरूद्ध आपत्ति देने पर तत्कालीन बंदोवस्ती पदाधिकारी द्वारा बंदोवस्ती आपत्ति वाद सं0–40/1928 में पारित आदेश द्वारा खतियान में अभ्युक्ति कॉलम में "दखल खास मालिक डी0सी0रे0मिस0 केस सं0–481/1912–13 अंकित किया गया। बाद में वर्ष 1947 में प्रश्नगत भूमि की बंदोवस्ती जी0सी0पाण्डेय द्वारा मास्टर सुन्दर दास को दी गई थी। जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदार को बंदोवस्ती करने का पूर्ण अधिकार था।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा Kalpana Pandey Vrs State of Jharkhand (2008 (A) JLR 389) में पारित न्याय निर्णय में भूतपूर्व जमींदार द्वारा 01.01.1946 के बाद की गई बंदोवस्ती को बरकरार रखा गया है। प्रश्नगत मामले में मूल विपक्षी द्वारा सलामी तथा बसौड़ी रेंट की राशि वर्ष 1957–58 में जमा की गई है एवं इसके बाद पंजी–।। में जमाबंदी का सृजन कर लगान रसीद भी निर्गत किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा भी है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव देना उचित प्रतीत नही होता है।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कागजात, विभिन्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन, विपक्षी के बहस से यह स्पष्ट होता है कि रे0मि0 वाद सं0–227/1912–13 Petition U/S 25A of Reg.-II of 1886 में दिनांक–28.07.2013 को ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय (आवेदक) निम्नांकित आदेश पारित किया गया :–

16 July 28/13 The Patnidar applies to take exclusive possession. He can take a copy of the D.S's orders dated 11th ult, and of my order of 30th ibid. with these as his title-deeds, he is fully authorized to take the exclusive possession sought.

सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, पाकुड़ जिला–संथाल परगना के न्यायालय के बंदोवस्ती आपत्ति वाद सं0–40/1928 कुमार ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय बनाम जनाकी मांझी, प्रधान एवं अन्य में दिनांक–17.09.1928 को पारित आदेशनुसार The dispued plots were acquired by the Zamindar the Plaintiff in Deputy Commissioner's Rev. Misc. case No.-481 of 1912-13. The Plaintiff says that a note may be make in the remarks column

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	showing that patit lands are Zamindar's acquired. I do not think that there is any harm in that. सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, पाकुड द्वारा विवादित दागों की भूमि जमींदार द्वारा अर्जित की गई भूमि खतियान के अभियुक्ति कॉलम में लिखने की सहमति दी गई। सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, पाकुड के उक्त आदेश के अनुसार विषयगत दागों की भूमि खतियान में "पुरातन पतित दखल खास मलिक डी0सी0 रे0मि0 केस नं0–481 / 1912–13" लिखा गया है। सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक–2884, दिनांक–10.07.2018 के द्वारा दिनांक–03.07.2018 को हुई मंत्री परिषद् की बैठक में मद सं0–18 में अन्यान्य के रूप में लिये गये निर्णय का संसूचन प्राप्त है, जिसके अनुसार अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करने तथा वैसे सभी अन्य मामले जिसमें किसी प्रकार के कार्रवाई के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने का निदेश दिया गया है। उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी रद्द करने एवं लगान स्थगित रखने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नही है। अतः मौजा–खपड़ाजोला के जमाबंदी सं0–31 के दाग सं0–311 अन्तर्गत रकवा 02–05–15 धुर भूमि का जमाबंदी एवं स्थगित लगान मास्टर सुन्दर दास के नाम पर पूर्ववत बहाल रखा जाता है। यह निर्णय प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व का निर्धारण नही करती है। इस आदेश से प्रश्नगत भूमि पर न तो किसी का स्वत्व उत्पन्न होना समझा जायेगा और न ही विलोपित होना समझा जायेगा। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश की प्रति अनुपालन हेतु भेजें, अंचल अधिकारी आदेश का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। लेखापित एवं संशोधित। 29.3.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। 29.3.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुंड़।	Seen Madan ... Adv 5/4/20..

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2024.07.18 14:48:41 +05:30
Location: 192.168.45.62